न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत खेडी)
पीठासीन अधिकारी : श्री बाल कृष्ण तिवाड़ी आरएएस
मुकदमा नं0 3/45/16 निर्णय दिनांक : 08.06.2018

उनवान

1. **धनीराम पुत्र फतेहराम जाति जाटव निवासी ग्राम बामनीखेडा तहसील रामगढ जिला अलवर हाल निवासी दीवाकरी तह0 अलवर।**

..............................प्रार्थी

बनाम

1. **राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार रामगढ।**

............अप्रार्थी

(अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट)

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 128 एलआरएक्ट इस आशय का पेश किया है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 633 रकबा 0.76 हैक्ट0 वाके ग्राम बामनीखेडा तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित आराजी का प्रार्थी तन्हा कब्जा काश्त व खातेदार है आज दिनांक तक कब्जे काश्त रहकर उक्त विवादित आराजी पर काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी पर पडौसी सीमान्त कृषकगण बुरी नियत रखते हुए बेजा अतिक्रमण वो अतिभार करने की चेष्टा में रहते है। जिसके लिए हमेशा प्रयासरत रहते है। जिसको रोकने के लिए प्रार्थी ने अथक प्रयास कर लिये लेकिन ये लोग अपनी हरकतों से बाज नही आ रहे है। बार-बार डोल तोड कर अतिक्रमण करते है। प्रार्थी की आराजी की पैमाईश दिनांक 29.06.2016 को की गई थी और उस वक्त इन व्यक्तियों को पैमाईश से अवगत करा पाबन्द फरमाया गया था परन्तु फिर भी परेशान करते है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी हाल खसरा नम्बर 633 रकबा 0.76 हैक्ट0 वाके ग्राम बामनीखेडा तहसील रामगढ जिला अलवर की पैमाईश कर पत्थरगढी वो निशान देही सही माप से प्रार्थी की आराजी की पत्थरगढी कराने की कृपा करें।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर /कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत खेडी में दिनांक 08.06.2018 को पेश हुई। प्रार्थी राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में उपस्थित नही हुआ पत्रावली

में संलग्न मौका पर्चा दिनांक 29.06.2016 द्वारा की गई पैमाईश का विवरण इस प्रकार है कि तहसीलदार रामगढ के आदेश क्रमांक 121 दिनांक 27.06.2016 की अनुपालना में हमराह पटवारी हल्का नयाबास के साथ ग्राम बामनीखेडा के खसरा नम्बर 633 रकबा 0.76 हैक्ट0 के सीमांकन हेतु मौके पर पहुचे। मौके पर प्रार्थी धनीरा पुत्र फतेहराम जाटव उपस्थित मिला। प्रार्थी, पडौसियों की उपस्थिति में जरीब चलाकर ख0 नं0 633 का सीमांकन कराया। ख0 नं0 399 व 400 का उत्तरी कोना को पुख्ता बिन्दु मानकर जरीब चलाकर ख0 नं0 631 व 633 का उत्तरी कोना कायम किया। फिर उसको आधार मानकर शेष तीनों कोनों का सीमाकन कराया। प्रार्थी सीमाज्ञान से सन्तुष्ट हुआ। उपस्थितगणों के हस्ताक्षर करायें।

पत्रावली का राजस्व लोक अदालत शिविर /कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत खेडी में दिनांक 08.06.2018 को अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से प्रार्थी की आराजी की पैमाईश दिनांक 29.06.2016 को की जा चुकी है। अतः प्रार्थी की आराजी की पत्थरगढी कराया जाना उचित प्रतीत होता है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात आधार पर प्रार्थना पत्र 128 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 633 रकबा 0.76 हैक्ट0 वाके ग्राम बामनीखेडा तहसील रामगढ जिला अलवर की पत्थरगढी नियमानुसार कराया जाना सुनिश्चित करें। तहसीलदार रामगढ को अहकाम जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत ग्राम पंचायत खेडी में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)